FORM-21 C

(See Rule 64)

(For use in general election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from 103- BEAWAR Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

SHRI SHANKAR SINGH RAWAT of VILL-HIMATPURA POST- KISHANPURA VIA KABRA, TEHSIL-BEAWAR, DIST.-AJMER(RAJ). PIN-305927 Sponsered by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER Date—11-12-2018

(SURESH CHAUDHARY)
(SURESH CHAUDHARY)
RETURNING OFFICER

ASSEMBLY CONSTITUENCY, 103-BEAWAR (Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Beawar)

प्ररूप— 21ग (नियम 64 देखिये) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

103. ब्यावर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री शंकर सिंह रावत,

ग्राम—हिम्मतपुरा, पोस्ट—किशनपुरा, वाया—काबरा, तहसील—ब्यावर, जिला—अजमेर(राज.) पिन—305927 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :-- अजमेर तारीख :-- 11.12.2018

> (सुरेश चौधरी) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 103—ब्यावर (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेंट, ब्यावर) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ब्यावर